राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर – 302018
www.rsmssb.rajasthan.gov.in दूरभाष नं.–0141–2722520

क्रमांक : प.8 (55) R.S.S.B. / प.आ. / कनि.वैज्ञा.सहा. / सी.भ.प. / 2018 / 349 दिनांकः 14.08.2019

विज्ञप्ति

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला विभाग, राजस्थान, जयपुर के लिए राज्य विधि विज्ञान अधीनस्थ सेवा नियम–1980 के अन्तर्गत **कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक** के विभिन्न संवर्ग (प्रलेख / रसायन / भौतिक / अस्त्रक्षेप / जैविक / सीरम / विष) के पदों पर भर्ती हेतु बोर्ड के विज्ञापन संख्या 01 / 2019 क्रमांकः 77 दिनांकः 17.01.2019 एवं संशोधित विस्तृत विज्ञप्ति क्रमांकः प.14 (48) R.S.S.B. / अर्थना / रा.वि.वि.प्र. / कनि. वैज्ञा. सहा. / 2018 / 971 दिनांकः 24.07.2019 द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे।

उक्त पदों पर भर्ती हेतु **राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित की जाने वाली सीधी भर्ती परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम** निम्नानुसार होगा :–

क्र. सं.	पद का नाम (जिसके लिए परीक्षा का आयोजन किया जावेगा)	परीक्षा तिथि	परीक्षा का समय
1.	2.	3.	4.
1.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (रसायन)	14.09.2019 (शनिवार)	प्रातः 10:00 बजे से मध्यान्ह 12:00 बजे तक
2.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (विष)	14.09.2019 (शनिवार)	अपरान्ह 03:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक
3.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (जैविक)	15.09.2019 (रविवार)	प्रातः 10:00 बजे से मध्यान्ह 12:00 बजे तक
4.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (सीरम)	15.09.2019 (रविवार)	अपरान्ह 03:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक
5.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (भौतिक)	21.09.2019 (शनिवार)	प्रातः 10:00 बजे से मध्यान्ह 12:00 बजे तक
6.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (अस्त्रक्षेप)	21.09.2019 (शनिवार)	अपरान्ह 03:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक
7.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (प्रलेख)	22.09.2019 (रविवार)	प्रातः 10:00 बजे से मध्यान्ह 12:00 बजे तक

इन परीक्षाओं के लिए ई–प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाईट से डाउनलोड करने की तिथि बाबत् अलग से सूचित कर दिया जावेगा। आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं।

परीक्षार्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि परीक्षा केन्द्रों पर नकल एवं प्रतिरूपण की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किये गये हैं। अतः परीक्षा में नकल / प्रतिरूपण कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के किसी झाँसे / बहकावे में नहीं आवें। नकल करने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करें। नकल एवं प्रतिरूपण के प्रयास में पकड़े जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के साथ आपकी परीक्षा निरस्त होने एवं आगे आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने से रोक लगने से आपका कैरियर समाप्त हो सकता है।

परीक्षाओं के सम्बन्ध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें । बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार–पत्रों में एवं बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकृत माना जावे। नवीनतम एवं अद्यतन सूचनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in का नियमित रूप से अवलोकन करें।

(डॉ. बी0 एल0 जाटावत)
अध्यक्ष